



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 20 राँची, बुधवार
25 ज्येष्ठ, 1944 (श०)
15 जून, 2022 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग 1 —नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 150 -156 और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	भाग-4 —झारखण्ड अधिनियम
भाग 1-क —स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	भाग-5 —झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।
भाग 1-ख —मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	भाग-7 —संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।
भाग 1-ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	भाग-8 — भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	भाग-9 — विज्ञापन ---
भाग 3 —भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।	भाग-9-क —वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
	भाग-9-ख —निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।
	पूरक--
	पूरक "अ"

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ****गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।****27 अप्रैल, 2022****पत्रांक:- 13/आई०पी०एस०-101/2021- 1626--**

प्रेषक,

पूनम प्रभा पूर्ति,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक0),
झारखण्ड, राँची ।**विषय:- श्रीमती रीष्मा रमेशन, भा.पु.से. (2017), तत्कालीन सहायक पुलिस अधीक्षक, सी.सी.आर., राँची, सम्प्रति पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, धनबाद के द्वारा पदस्थापन की प्रतीक्षा में बितायी गयी दिनांक-01.10.2020 से 27.05.2021 तक कुल-239 दिनों की प्रभार रहित अवधि की सेवा विनियमित करने के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं.- I-11014/10/2020-IPS.IV, दिनांक-20.08.2020 द्वारा विवाह के आधार पर श्रीमती रीष्मा रमेशन, भा.पु.से.(2017) का राज्य संवर्ग स्थानांतरण केरल से झारखण्ड संवर्ग किया गया था। तदावलोक में श्रीमती रमेशन, भा.पु.से. ने दिनांक-30.09.2020 के अपराहन में केरल राज्य में धारित पद का प्रभार त्याग कर दिनांक-06.10.2020 के पूर्वाहन में पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड में योगदान समर्पित किया। पुनः विभागीय अधिसूचना सं.-1958, दिनांक-26.05.2021 तथा पुलिस मुख्यालय के गत्यादेश सं.-958/गो., दिनांक-27.05.2021 के आलोक में इन्होंने दिनांक-28.05.2021 के पूर्वाहन में सहायक पुलिस अधीक्षक, सी.सी.आर., राँची के पद पर योगदान दिया। इस बीच श्रीमती रीष्मा रमेशन, भा.पु.से. दिनांक-01.10.2020 से 27.05.2021 तक प्रभार रहित अवधि में रहीं जिसमें इनका कोई दोष परिलक्षित नहीं होता है ।

2. अतः उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार के मैलिक नियम- 9 (6) (a) (ii) तथा 9 (6) (b) (i) एवं इसके सदृश राज्य सेवा संहिता के नियम-14(क) (2) तथा 14(ख) के आलोक में राज्य सरकार द्वारा श्रीमती रीष्मा रमेशन, भा.पु.से.(2017), तत्कालीन सहायक पुलिस अधीक्षक, सी.सी.आर., राँची, सम्प्रति पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, धनबाद के दिनांक-01.10.2020 से 27.05.2021 तक कुल-239 दिनों की प्रभार रहित अवधि को निम्न रूप से कर्तव्य अवधि के रूप में सेवा विनियमित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(i) दिनांक-01.10.2020 से 05.10.2020 - पारगमन काल

(ii) दिनांक-06.10.2020 से 27.05.2021 - पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि ।

3. प्रस्ताव पर वित्तविभाग की सहमति प्राप्त है ।

4. प्रस्ताव पर विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

विश्वासभाजन,

पूनम प्रभा पूर्ति,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

अधिसूचना

14 जून, 2022

सं०सं०-03/JAC-03/2020-1287--झारखंड अधिविध परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा-04 (1) में प्रख्यापित प्रावधान के अंतर्गत विधि (न्याय) विभाग, झारखंड, रांची द्वारा निर्गत एल०जी०-09/2002-06/लेज 01 दिनांक-07.02.2007 झारखंड अधिनियम-2, 2007 के आलोक में अधिनियम की धारा-4 (1) (ड.) के अधीन कुलसचिव, रांची विश्वविद्यालय, रांची के पत्रांक-बी०/460/22 दिनांक-08.04.2022 द्वारा अनुशंसित डॉ० विजय सिंह, प्राध्यापक-सह-विभागाध्यक्ष, भूगर्भशास्त्र विभाग, रांची विश्वविद्यालय, रांची को राज्य सरकार द्वारा चक्रानुक्रम से पदभार ग्रहण की तिथि से एक वर्ष के लिए झारखंड अधिविध परिषद्, रांची के सदस्य के रूप में अधिसूचित किया जाता है ।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

कुमुद सहाय,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं SONA KUMARI SHRIVASTAVA अन्य नाम SWARNKANTA SRIWASTAVA (जन्म तिथि- 20 अप्रैल, 1957) पति Late PARASHURAM PRASAD SHRIVASTAVA, शपथ पत्र सं० 41, दिनांक 4 जून, 2022 के अनुसार SWARNKANTA SRIWASTAVA के नाम से जानी जाऊँगी ।

SONA KUMARI SHRIVASTAVA एवं SWARNKANTA SRIWASTAVA दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - HOUSE NO.-JE7 JAYANTI EAST ROAD NO.- 2,
VASTU VIHAR PROJECT NO.- 2, CHIRA CHAS,
P.S.- CHAS,
DIST.- BOKARO,
PIN- 827013
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं HIRA RAM TOOFANI अन्य नाम HIRA RAM पिता Late JHARI RAM, शपथ पत्र सं० 193, दिनांक 8 जून, 2022 के अनुसार HIRA RAM TOOFANI के नाम से जाना जाऊँगा ।

HIRA RAM TOOFANI एवं HIRA RAM दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - 206, SHUSHMA APARTMENT,
D.L. BOSE LANE,
AT THARPAKHNA, RANCHI,
P.S.- LOWER BAZAR, RANCHI, G.P.O.,
DIST- RANCHI
PIN- 834001
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं VISHWAS KUMAR BAURI अन्य नाम VISWAS KUMAR BAURI पिता SHIBU BAURI, शपथ पत्र सं० 1277, दिनांक 13 अप्रैल, 2022 के अनुसार VISHWAS KUMAR BAURI के नाम से जाना जाऊँगा।

VISHWAS KUMAR BAURI एवं VISWAS KUMAR BAURI दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - PURANA CHAS,
BAURI MOHALLA,
P.O.- JODHADIH MORE
P.S.- CHAS,
DIST.- BOKARO,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं NIRMALA SINGH अन्य नाम BEVI SINGH पति SANJAY SINGH, शपथ पत्र सं० 454, दिनांक 27 अप्रैल, 2022 के अनुसार NIRMALA SINGH के नाम से जानी जाऊँगी।

NIRMALA SINGH एवं BEVI SINGH दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - H.NO.-1761 RAM NAGAR,
P.O.- BERMO,
P.S.- BERMO,
DIST.- BOKARO,
PIN- 829104
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं KAMLA ROY अन्य नाम MALTI DEVI पति Late DINU ROY, शपथ पत्र सं० 105, दिनांक 6 जून, 2022 के अनुसार KAMLA ROY के नाम से जानी जाऊँगी।

KAMLA ROY एवं MALTI DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - LAKHIPUR, KALIASOL,
P.O.& P.S.- NIRSA,
DIST.- DHANBAD
PIN- 828205
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं NEHA PRASAD अन्य नाम NEHA पिता DR. S.N. PRASAD, शपथ पत्र सं० 354, दिनांक 21 अगस्त, 2021 के अनुसार NEHA PRASAD के नाम से जानी जाऊँगी।

NEHA PRASAD एवं NEHA दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - QR. NO. A-91,
SAIL SATELLITE TOWNSHIP,
P.O.- DHURWA,
DIST.- RANCHI,
JHARKHAND.
